

प्रेस नोट

दिनांक 25.10.2026

परिवार परामर्श केन्द्र (महिला सहायता प्रकोष्ठ) द्वारा 06 प्रकरणों में कराया गया सुलह-समझौता-

जनपद गोण्डा में पारिवारिक विवादों के निस्तारण एवं परिवारों में आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से परिवार परामर्श केन्द्र (महिला सहायता प्रकोष्ठ) द्वारा निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 25.10.2026 (रविवार) को परिवार परामर्श केन्द्र जनपद गोण्डा में कुल 94 पत्रावलियों पर कार्यवाही की गई। जिनमें से 06 प्रकरणों में दोनों पक्षों को समझाकर आपसी सहमति एवं सुलह-समझौता कराया गया। परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दोनों पक्षों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर पारिवारिक विवाद को आपसी बातचीत एवं सामंजस्य के माध्यम से समाप्त कराया गया तथा भविष्य में आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु परामर्श दिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण-

सदस्यगण- श्री शशि कुमार भारती, श्री राजमंगल मौर्य, श्री यशोदानन्दन तिवारी, श्रीमती संतोष ओझा, उमा सिंह

अधिकारी/कर्मचारीगण- WCSO प्रभारी प्रतिभा सिंह, म0हेड0का0 कलावती, म0 का0 अनुप्रिया सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 25.10.2026

थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.09.2026 को थाना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्रांगत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 करनैलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को उमेश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 करनैलगंज में सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम भुल्लर पुरवा स्थित अभियुक्त के घर पहुंचकर अभियुक्त उमेश उर्फ ननके को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- उमेश उर्फ ननके पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ लालबत्ती, निवासी ग्राम पारा भुल्लर पुरवा, थाना जरवल रोड, जनपद बहराइच

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 548/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)M बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

01- उ0नि0 चन्द्रशेखर

02- का0 अमन कुमार अवस्थी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 25.10.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 336 ग्राम गांजा बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नीले रंग के बैग में अवैध सामान लेकर कटहाघाट मोड़ के पास खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम पंकज सिंह पुत्र कमल कुमार सिंह, निवासी ग्राम बम्भौरा, कस्बा व थाना जरवल रोड, जनपद बहराइच बताया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 70 पैकेट अवैध गांजा, कुल वजन करीब 336 ग्राम बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह गांजा खरीदकर चोरी-छिपे बेचता है तथा इससे प्राप्त धनराशि से अपने खर्चे चलाता है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. पंकज सिंह पुत्र कमल कुमार सिंह, निवासी ग्राम बम्भौरा, कस्बा व थाना जरवल रोड, जनपद बहराइच।

बरामदगी—

- 70 पैकेट अवैध गांजा, कुल वजन करीब 336 ग्राम

- नगद ₹200/-

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 - 978/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा
2. का0 सुरेश कुमार
3. का0 बृजमोहन लोधी
4. का0 रोहिताश वर्मा
5. का0 अवनीश कुमार वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 25.10.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 260 ग्राम गांजा बरामद-

कार्यवाही—

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध एवं मादक पदार्थों की बिक्री/तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.10.2026 को उपनिरीक्षक विभव तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कटहा घाट रोड स्थित गोदाम के पास से संदिग्ध व्यक्ति संदीप वर्मा पुत्र गणेश वर्मा, निवासी नयापुरवा सिध्दौर, थाना असंदा, जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 63 पैकेटों में 260 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- संदीप वर्मा पुत्र गणेश वर्मा, निवासी नयापुरवा सिध्दौर, थाना असंदा, जनपद बाराबंकी।

बरामदगी—

- कुल 63 पैकेट गांजा
- कुल वजन करीब 260 ग्राम
- 58 छोटे पैकेट — करीब 210 ग्राम
- 05 बड़े पैकेट — करीब 50 ग्राम

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 975/26, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

01- उ0नि0 विभव तिवारी

02- हे0का0 रामप्रीत यादव

03- का0 दिवाकर वर्मा

04- का0 अर्पित पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।